

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 127 /2024


दिनांक : 28.05.2024

**श्रीमती निधि बेनीवाल (RJ01185)**, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (चूरु) को दिनांक 02.05.2024 से 17.05.2024 तक **16 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बेनीवाल की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (चूरु) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (चूरु) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2 (4)/50/2017/ 4243

दिनांक 28.05.2024

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चूरु को उनके पत्रांक 4550 दिनांक 23.05.2024 के सन्दर्भ में ।
3. **श्रीमती निधि बेनीवाल (RJ01185)**, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (चूरु)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (चूरु)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सादुलशहर (चूरु)।

  
सहायक रजिस्ट्रार